

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक नागौर

कार्यालय-आदेश

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य /संस्था/एफ-1/12102(202)/सी.भ./पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III/2021-22 दिनांक 18.06.2023 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा 2022 हेतु चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप सलंगन सूची में विवरणांकित आशार्थियों को **पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल 10** में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार **नियत मानदेय 23700/-प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा।** सम्बन्धित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे।

01. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलाने कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/ सन्देह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगे।
02. नियुक्ति पर कार्यग्रहण सम्बन्धी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करवाया जावे तथा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखे। **पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कर्मिको हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।**
03. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें।
04. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्थाप्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
05. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए-III/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक रूप से शपथ पत्र सलंगन निर्धारित प्रारूप में 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
06. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
07. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
08. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता जाँच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हे कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को तुरन्त सूचित किया जावे।
09. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ लेवे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली, अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
10. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एव यह भी प्रमाणित किया गया हो की अपवर्जनकाक नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता हो तो उसका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।

Signature valid

Digitally signed by Rajm Niwas Jangid
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.06.23 19:26:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4128551



11. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पति के नाम पर एवं पति की आय के आधार पर प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही आवेदक को कार्यग्रहण करवाने की कार्यवाही करे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता हो तो उसका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
12. संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र लेवे कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटका सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा: महंगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी क्षती पूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेगी।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
17. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
18. संबंधित संस्थाप्रधान इनको शालादर्पण पर कार्यग्रहण करवाकर इसकी सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से देवे।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 14.07.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएँ समाप्त की जायेगी।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार सूची

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक नागौर
दिनांक 23.06.2023

क्रमांक: - जिशिअ/मुमा/ना/संस्था/नियुक्ति/पु0अ0ग्रे-III/सी.भ. 2022/257

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर।
02. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
03. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
04. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
05. कम्प्यूटर अनुभाग, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
06. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर
07. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
08. सम्बंधित संस्थाप्रधान.....।
09. सम्बंधित आशार्थीको को विभागीय साईट द्वारा
10. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक नागौर

Signature valid

Digitally signed by Raj Niwas Jangid
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.06.23 18:26:59 IST
Reason: Approved

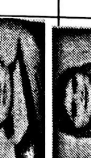
RajKaj Ref No. : 4128551



कार्यालय—जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक नागौर

दिनांक 23.06.2023

क्रमांक: लिखित/मुसा/ना/संस्था/नियुक्ति/प्रशिक्षण/सी.बी. 2022/267

Sr. No.	PHOTO	MERIT NO.	CANDIDATE NAME	FATHER NAME	DOB	CATE	H CATE	MALE/FEMALE	SELECTIO N CATEGO RY	ADDRESS	POSTING PLACE
1		15	NISHA KUMARI	BADRI PRASAD	01-Jan-95	OBC	--	Female	GEN	KATLA BASS KUCHAMAN ROAD DIDWANA KATLA BASS DIDWANA KATLA BASS DIDWANA District NAGOUR PINCODE&"341303	GHSS LALASARI (219790)(08140710804)
2		80	DILSAD AHMAD	NADIM AHMAD USMANI	18-Jan-95	GEN-EWS	--	Male	GEN	GANDHI NAGAR DIDWANA -- District NAGOUR PINCODE&"341303	GHSS JAKHALI (220068)(08141106011)
3		150	DEVIKA BISHNOI	RAMESHWAR LAL	20-Aug-95	OBC	--	Female	GEN	VPO- JAISINGH DESAR MAGRA -- District BIKANER PINCODE&"334803	GHSS SHRI BALAJI (219882)(08140812324)
4		246	NORANGI BISHNOI	SHYAM SUNDER BISHNOI	01-Jan-01	OBC	--	Female	OBC	VPO JAISINGH DESAR MAGRA NOKHA BIKANER District BIKANER PINCODE&"334803	GHSS SEWARI (219880)(08140812206)
5		584	ASHOK NAYAK	GAJANAND NAYAK	18-Feb-96	SC	--	Male	SC	WARD NO 3 NAYKO KA MOHALLA DEVI KUND SAGAR RIDMALSAR PUROHITAN BIKANER RAJASTHAN District BIKANER PINCODE&"334022	GHSS PANCHORI (220029)(08141207708)
6		656	JAGMOHAN MEENA	LAKSHO RAM	04-Dec-83	ST	--	Male	ST	VILLAGE SIROLI POST DANTULI TEHSIL SANGANER JAIPUR District JAIPUR PINCODE&"303012	SHAHEED PANCHURAM GHSS PEEH (219577)(08140409008)
7		677	RAHUL KUMAR MEENA	KAILASH CHAND MEENA	17-Aug-99	ST	--	Male	ST	VPO LALASAR TEH KISHANGARH RENWAL VAYA KISHANGARH RENWAL District JAIPUR PINCODE&"303603	GHSS RANIGAON (220089)(08141110601)
8		807	GEETA MEENA	KANHAYA LAL MEENA	13-Jul-81	ST	--	Female	ST	WARD NO 02 MUKUNDGARH TEH NAWALGARH DIST JHUNJHUNU District JHUNJHUNU PINCODE&"333705	SHREE JAGNNATH TAPRIYA GHSS JASWANTGARH (213473)(08140603820)
9		1129	SUMAN RANI	BHNNWAR LAL	06-Jul-92	SC	--	Female	SC	RAILWAY LOCKO COLONY WARD NO 10 Q NO T-55A District HANUMANGARH PINCODE&"335512	GHSS KARKERI (219932)(08140906601)

Signature valid

Digitally signed by Raj Niwas Jangid

Designation : District Education Officer

Date: 2023.06.23 09:26:59 IST

Reason: Approved

Page 1 of 1

RajKaj Ref No. : 4128551

